प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सात'

[21/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 521]

परिशिष्ट–1

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
ई-2/167, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.) 462 016
E-2/167, Arera Colony, Near Habibganj Station, Bhopal (M.P.)-462 016

दूरभाष/Phone : 0755-2426638
फैक्स/Fax : 0755-2426698
ईमेल/E-mail : robhopal@nhai.org

भाराराप्रा / आर.ओ.–एम.पी. / 2016 / वि.स. / 24524 दिनांक 04.07.2016

प्रति

मुख्य अभियंता
(रा.रा.) लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

विषयः भोपाल ब्यावरा फोरलेन सड़क निर्माण (विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.–521) द्वारा श्री नारायण सिंह पँवार।

संदर्भः– आपका कार्यालयीन मेल दिनांक 01.07.2016.

महोदय,

संदर्भित मेल दिनांक 01.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्र.–521 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाली परियोजना क्रियान्वयन इकाई–भोपाल से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	प्रश्नकर्ता के परि.आता. प्रश्न संख्या 76 क्र. 5820, दिनांक (15मार्च 2016) के उत्तर में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा बताया गया था कि रा.रा.क्र.–12 अंतर्गत भोपाल से ब्यावरा तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में निवेशकर्ता एजेंसी को अनुबंध के अनुसार दिनांक 22.04. 2016 को अनुबंध निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया है तथा निवेशकर्ता एजेंसी को मार्ग के गड्ढे भरवाने का कार्य तीव्र गति से करने के निर्देश दिये गये है? तो क्या हाल ही में उक्त निवेशकर्ता एजेंसी का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त फोरलेन सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है?	हॉं, निवेशकर्ता एजेंसी का अनुबंध दिनांक 10.05. 2016 को निरस्त कर दिया गया है और बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल के द्वारा बचे हुए कार्य के प्रस्ताव तैयार कर मुख्य अभियंता, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु दिनांक 17.05.2016 को प्रेषित किया गया है। यह सड़क पूर्व में एम.पी.आर.डी.सी. के अधीन थी, किंतु भाराराप्रा.मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 20.06.2016 के अनुपालना में दिनांक 20.06. 2016 को रा.रा.प्रा. को हस्तांतरित हो गई है। अतः आवश्यक स्वीकृति पश्चात् निर्माण पैकेज बनाकर शेष कार्य रा.रा.प्रा. द्वारा संपादित किये जाएगे।
(ख)	क्या उक्त मार्ग पर ब्यावरा से कुरावर तक सड़क की स्थिति खराब होने से वर्षाकाल में आवागमन में अत्यंत कठिनाईयॉं उत्पन्न होंगी? यदि हॉं, तो क्या शासन यथाशीघ्र उक्त फोरलेन सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कोई ठोस कदम उठायेगा? यदि हॉं तो क्या और कब?	वर्षाकाल में उक्त सड़क के रखरखाव व मरम्मत कार्य हेतु एम.पी.आर.डी.सी.द्वारा निविदाएँ आमंत्रित कर एजेंसी नियत की गई है। एजेंसी का भाराराप्रा, मुख्यालय द्वारा स्वीकृति पश्चात् अनुबंध कर जल्द ही मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा।

(सुमित कुमार)
महाप्रबंधक (तक.)

संलग्नः उपरोक्तानुसार।